ई0 पत्रावली संख्या–72708

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक नवम्बर, 2024

विषयः–विशेष सहायता योजनान्तर्गत (Scheme for Spacial Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 SASCI) जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में पशुलोक बैराज से डाउनस्ट्रीम की ओर गंगा के दांये तट पर शारदापीठ घाट एवं मीराबेन घाट के निर्माण कार्य की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1902/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27 (एस0पी0ए0), दिनांक 02.05.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''पूंजीगत कार्यो/व्यय हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Spacial Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 SASCI) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में पशुलोक बैराज से डाउनस्ट्रीम की ओर गंगा के दांये तट पर शारदापीठ घाट एवं मीराबेन घाट के निर्माण कार्य की टी0ए0सी0, नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी **लागत रू 661.69 लाख (रूपये छः करोड़ इक्सठ लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा (Scheme for Spacial Assistance to State for Capital Investment for 2023-24 SASCI) योजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रू0 पाँच करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि **रू0 3.30 करोड़ (रू0 तीन करोड़ तीस लाख मात्र)** को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Spacial Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Part-1 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

(ii) कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय, उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु विभाग स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

(iii) एन0एस0आई0 मदों कार्य हेतु शासनादेश संख्या–50/xxvii(7)/2012 दिनांक 12.04.2012, संख्या–152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं शासनादेश

संख्या–103/XXVIII(7)32/2007. TC-1, दिनांक 21 जुलाई, 2022 के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) कार्य का मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(viii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा मे ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(x) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(xi) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

(xii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219/ 2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनाओं के समस्त डिजाइन एवं ड्राईग को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से vetting करा लिया जाय।

(xiv) जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मृदा परीक्षण एवं भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(xvii) कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

(xviii) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य– 800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53 वृहद्निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–252408/2024, दिनांक 08 नवम्बर, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक– Allotment ID

Signed by भवदीय,
Rajan Rajesh Kumar
Date: 21-11-2024 12:44:10
(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–72708, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–1 एवं 2 उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Jai Lal Sharma
Date: 21-11-2024 13:05:19
(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।